12.35 hrs:

RE: CALLING ATTENTION NOTICE

Shri Bade (Khargone): Sir, may I make a submission?

Mr. Speaker: The discussion on this subject is over.

Shri Bade: Sir, I want your protection in a different matter.

Mr. Speaker: I want protection from the hon. Member.

Shri Bade: The other day I had requested you to take up my Calling Attention Notice on the situation prevailing in Nagar Haveli and the expulsion of Shri Patel and the reply from your office was that it will be taken up on Monday. Now, in the Rajya Sabha they have put this question and the Minister has given a reply. So, the Home Minister knows the position in Nagar Haveli. Therefore, I may be permitted to ask the Home Minister....

Mr. Speaker: If he wants to know anything from the Home Minister, he will know it privately. He need not ask him through me.

श्री बड़े : उन्होंने कल कहा था कि मेरे कालिंग एटेंशन नोटिस का जवाब मंत्री महोदय सोमवार को देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आपने कह दिया अब आप बैठ जाइये । मैं उसका पता लगा लूंगा ।

श्री बड़े : आप के दफ्तर से मुझे इत्तला दी गई कि वह उसका जवाब सोमवार को देंगे .....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मैंने माननीय सदस्य को कह तो दिया कि मैं उसका पता लगाता हूं । अब इस से ज्यादा आप मुझ से इस वक्त क्या चाहते हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आप व्यवस्था और अमन के ऊपर किसी न किसी रूप में यहां बहस करवायें, चाहे एक दिन उसके लिए देकर या स्थगन प्रस्ताव पर बहस की अनुमति देकर करवायें ....

अध्यक्ष महोदय : डा० साहब आप खड़े हो जाते हैं और मांगते हैं कि मैं इस पर बहस करवाऊं लेकिन मेरे पास कोई अधिकार नहीं है बहस करवाने का । बहस हमेशा किसी नोटिस, किसी मोशन आदि पर ही हुआ करती है । मेरा कोई अख़्त्यार नहीं है कि मैं कोई आर्डर दे दूं कि इस मजमून पर बहस होगी । मेरे पास जब तक कोई नोटिस न हो मैं उसे नहीं करवा सकता । नोटिस आने पर मैं उस को देखूंगा कि वह अन्डर दी रूल्स है कि नहीं और तब मैं उसके मुताबिक ऐक्शन लूंगा । कई चीज़ें उसमें देखने की होती हैं । अब हमेशा खड़े होकर आप यह जो बहस की मांग करते हैं यह ज़रा मुनासिब नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में यह बात नहीं कही जा सकती है । यहां कई स्थगन प्रस्ताव हैं । कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आते रहते हैं । यहां पर जब कभी इस तरह का सवाल उठा है तो आपने अपनी तरफ़ से एक बहस दिलवाने की कोशिश की है और यहां पर आप खुद करवा चुके हैं । मैं आप से यह अर्ज कर रहा था कि यह कोई मामूली सवाल नहीं है बल्कि इन्सान की क़ीमत का सवाल है । आखिर को सरकार को कुछ सीखना है हम लोगों से । यह एक महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए इस पर बहस कराई जानी चाहिए और यदि इस पर बहस होगी तो कुछ अच्छा ही होगा . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । हमने कोई बहस नहीं की है जब तक उसके लिए कोई नोटिस गवर्नमेंट की तरफ़ से या किसी प्राइवेट मेम्बर की तरफ़ से न आया

हो । बगैर उसके कोई बहस ही नहीं हो सकती है । डा० साहब रूल्स हमारे इस बारे में हैं और उनके मुताबिक ही बहस होती है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप ने बंगाल वाली बहस करवाई । उस पर स्थगन प्रस्ताव था लेकिन आप ने उस पर बहस करवा दी ।

अध्यक्ष महोदय : किस पर करवा दी ?

डा० राम मनोहर लोहिया : जब एक स्थगन प्रस्ताव था तो आपने सलाह दी थी सरकार को कि वह स्थगन प्रस्ताव पर तो नहीं लेकिन बंगाल के ऊपर एक बहस करवा लें ।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर ने हाउस में मोशन दिया । मैं ने उसका ऐलान किया और उस नोटिस पर बहस करने का फैसला हुआ ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जब आप ने कहा तभी वह ऐसा मोशन लाये । इसीलिए मैं आप से इस के लिए कह रहा हूं । मैं कोई गृह मंत्री से नहीं कह रहा हू मैं आप से अर्ज कर रहा हूं ।

12.40 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT, 1951.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951:—

(i) (a) The Indian Administrative Service (Cadre) Amendment Rules 1963 published in Notification No. G.S.R. 3 dated the 4th January, 1964.

(b) The Indian Police Service (Cadre) Amendment Rules, 1963 published in Notification No. G.S.R. 4 dated the 4th January, 1964.

[*Placed in Library. See* No. LT-2322/64.]

(ii) A copy of the Defence of India (Amendment) Rules, 1964, published in Notification No. G.S.R. 135, dated the 21st January, 1964, as corrected by Notification No. G.S.R. 185, dated the 8th February, 1964, under section 41 of the Defence of India Act, 1962.

[*Placed in Library. See* No. LT-2323/64.]

CERTIFIED ACCOUNTS OF INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KANPUR

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Dr. M. M. Das): I beg to lay on the Table a copy of the Certified Accounts of the Indian Institute of Technology, Kanpur, for the year 1962-63 along with the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 23 of the Institutes of Technology Act, 1961.

[*Placed in Library. See* No. LT-2324/64.]

ANNUAL REPORT OF THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR THE YEAR 1962-63.

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the University Grants Commission for the year 1962-63, under section 18 of the University Grants Commission Act, 1956.

[*Placed in Library. See* No. LT-2325/64.]